EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA: PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (ii)

Appearing on Page Nos. 3172-3173

Dated 28-6-2008

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1.6 जून, 2008

का,आ. 1518. —केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, शहद के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्निलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शहद के निर्यात (क्लालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) संशोधन नियम, 2008 है।
 - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।
- 2. शहद के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 2002 के नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

(6) निरीक्षण फीस

"मानीटरिंग प्रणाली और अनुमोदन के मामले में, निरीक्षण फीस पोत पर्यन्त निःशुल्क (एफ.ओ.बी.) के 0.20% की दर से जो अधिकतम प्रति वर्ष 15 लाख रुपए प्रति निर्यातक या प्रसंस्करणकर्ता होगा और परेषणानुसार निरीक्षण के मामले में पोत पर्यन्त मूल्य एफ. ओ.बी. के 0.40% की दर से न्यूनतम 500 रुपए का संदाय प्रति परेषण के अधीन रहते हुए निर्यातकर्ता या प्रसंस्करणकर्ता द्वारा अभिकरण को किया जाएगा।"

टिप्पण : निर्यातक या प्रसंस्करणकर्ता द्वारा प्रति परेषण मानीटरिंग फींस की राशा को भुगतान निकटतम रुपए तक पूर्णांकित किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए जहां ऐसी राशा का भाग - पैसे में हो, तब यदि वह भाग पचास पैसे या अधिक है तो उसे बढ़ा कर एक रुपए कर दिया जाएगा और यदि प्रत्येक भाग पचास पैसे से कम है तो, उसे गणना में नहीं लिया जाएगा।

्र[फा. सं. 2/38/2007-ईआई एंड ईपी(IV)]

किरण पुरी, निदेशक

पाद टिप्पण : मूल नियम को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड-(ii) तारीख 4 मार्च, 2002 में सं का.आं. 277(अ) तारीख 4 मार्च, 2002 में प्रकाशित किए गए थे और उनके पश्चात्वर्ती संशोधन अधिसूचना सं. का.आं. 1245 तारीख 14-5-2004 द्वारा किए गए।

MGIPRRND-2456 Commerce/2008-100 Copies

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2008.

S.O. 1518.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Honey (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 2002, namely:—

- 1. (1) These rules may be called the Export of Honey (Quality Control, Inspection and Monitoring) Amendment Rules, 2008.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Export of Honey (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 2002, for rule 6, the following rule shall be substituted, namely:—

"(6) Inspection Fee

In case of approval and monitoring system, inspection fee @ 0.20% of the free on board (F.O.B.) value with a maximum of Rs. 15 Lakhs per annum per exporter or processor and in case of consignment wise inspection @ 0.40% of freight on board (F.O.B.) value subject to a minimum of Rs. 500 per consignment, shall be paid by the exporter or processor to the Agency.

Note: The amount of monitoring fee for each consignment payable by the exporter/processor shall be rounded off to the nearest rupee and, for this purpose, where such amount contains a part of a rupee consisting of paise, then, if such part is fifty paise or more, it shall be increased to one rupee and if each part is less than fifty paise, it shall be ignored."

[F. No. 2/38/2007-EI&EP(IV)]

KIRAN PURI, Director

Foot Note: The Principal rules were published vide S.O. 277(E) dated 4th March 2002 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), Extraordinary dated 4th March 2002 and subsequently amended by S.O.1245 dated 14-5-2004.